सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0
7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001
Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांकः 191 /सो.आ.नि.– 3/474(III)/2022
दिनाँकः 14 जून, 2022

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
(गाजियाबाद व गौतमबुद्धनगर को छोड़कर), उ0प्र0।

विषयः– सोशल आडिट में पाए गए वित्तीय अनियमितता के प्रकरणों पर आवश्यक कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत कराए जा रहे कार्यों की सोशल आडिट ग्राम सभा द्वारा किये जाने की व्यवस्था है जिसके लिए कराए गए कार्यों का सत्यापन एवं श्रमिकों का डोर–टू–डोर सत्यापन किए जाने के पश्चात् पाए गए प्रकरणों पर सोशल आडिट ग्राम सभा की बैठक में ग्रामीणों की उपस्थिति में चर्चा की जाती है। सोशल आडिट प्रक्रिया के अनुरूप ग्राम सभा की बैठकों में सम्बन्धित ग्राम रोजगार सेवक, सचिव, ग्राम पंचायत, तकनीकी सहायक आदि को उपस्थित ग्रामीणों के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है जिससे ग्राम सभा, क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य/पक्ष को सुनकर प्रकरण में अन्तिम निर्णय ले सके, किन्तु सामान्यतः ग्राम सभा की बैठक में क्रियान्वयन एजेंसी के लोग प्रस्तुत नहीं होते हैं और ग्राम सभा द्वारा उपस्थित ग्रामीणों की उपस्थिति में निर्णय लिए जाने के पश्चात् ए0टी0आर0 में प्रकरण को निक्षेपित करने हेतु अपना मन्तव्य दिया जाता है। अधिकांश जनपदों में विकास खण्ड स्तर पर समिति बनाकर प्रकरण को निक्षेपित किए जाने का अनुरोध किया जा रहा है जो कि सोशल आडिट की प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है। ऐसे प्रकरणों में उचित होगा कि जनपद स्तर से क्रियान्वयन से भिन्न विभाग के अधिकारियों की समिति गठित कर स्थलीय सत्यापन/जाँच कराई जाए किन्तु यदि किसी प्रकरण को निक्षेपित किए जाने हेतु विकास खण्ड स्तर पर क्रियान्वयन विभाग के अधिकारियों को समिल्लित करते हुए समिति बनाकर स्थलीय सत्यापन/जांच कराई जा रही है तो ऐसे मामलों में जनपद स्तर से समिति बनाते समय निम्नवत् व्यवस्था का पालन किया जाना अपेक्षित है जिसके लिए की जा रही व्यवस्था का उल्लेख उदाहरण सहित किया जा रहा हैः–

सोशल आडिट सम्पन्न ब्लाक	**प्रकरण की जाँच हेतु जनपद स्तर से प्रस्तावित समिति**
ब्लाक ए	ब्लाक **ए** के प्रकरणों की जाँच ब्लाक **डी** की समिति द्वारा
ब्लाक बी	ब्लाक **बी** के प्रकरणों की जाँच ब्लाक **सी** की समिति द्वारा
ब्लाक सी	ब्लाक **सी** के प्रकरणों की जाँच ब्लाक **ए** की समिति द्वारा
ब्लाक डी	ब्लाक **डी** के प्रकरणों की जाँच ब्लाक **बी** की समिति द्वारा
नोट– ब्लाक **ए** के प्रकरणों की जाँच ब्लाक **बी** की समिति द्वारा एवं ब्लाक **बी** के प्रकरणों की जाँच ब्लाक **ए** की समिति द्वारा तथा ब्लाक **सी** के प्रकरणों की जाँच ब्लाक **डी** की समिति द्वारा एवं ब्लाक **डी** के प्रकरणों की जाँच ब्लाक **सी** की समिति बनाकर न की जाए, जिससे प्रकरणों के निस्तारण में निष्पक्षता बनी रहे।	

अनुरोध है कि सोशल आडिट में पाए गए प्रकरण जिनका निस्तारण ग्राम सभा में नहीं हो सका है ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु सोशल आडिट प्रक्रिया के अनुरूप क्रियान्वयन विभाग से भिन्न अधिकारियों की समिति बनाया जाना अपेक्षित है किन्तु यदि किसी प्रकरण में क्रियान्वयन विभाग के अधिकारियों को समिल्लित करते हुए समिति बनाई जा रही है तो उपरोक्तानुसार दी गई व्यवस्था के अनुरूप समिति बनाकर प्रकरणों का स्थलीय सत्यापन/जाँच कराई जाए, उसके पश्चात् ही समिति की आख्या के अनुसार प्रकरणों को निक्षेपित किए जाने की संस्तुति की जाए, जिससे प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में सोशल आडिट प्रक्रिया के अनुरूप यथावश्यक अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

12/6/22

(शरद कुमार सिंह)
निदेशक

पत्रांक— 191 /सो0आ0नि0—3/474(3)/2022 ,तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— अपर आयुक्त (मनरेगा), ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2— समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उ0प्र0।
3— समस्त मुख्य विकास अधिकारी, (गाजियाबाद व गौतमबुद्धनगर को छोड़कर), उ0प्र0।
4— समस्त जिला विकास अधिकारी, (गाजियाबाद व गौतमबुद्धनगर को छोड़कर), उ0प्र0।

(शरद कुमार सिंह)
निदेशक